

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
2, जलपथ, गांधीनगर, जयपुर


क्रमांक:एफ.1(3)2( )/स्था/आईसीडीएस/130534-566  
उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
समस्त।

जयपुर,दिनांक:  
13-7-18

विषय:-च.श्रे.क. से क.सहायक के पद हेतु पदोन्नति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसागिक आपके जिले के सीनियर/उच्च शिक्षा प्राप्त एवं आर.एस.सी.आई.टी कोर्स उत्तीर्ण च.श्रे.कर्मचारियों के दस्तावेज इकजाई कर सात दिवस में आवश्यक रूप से निदेशालय भिजवायें। क्योंकि वर्ष 2015-2016 से 2018-19 तक की राज. अधीनस्थ कर्मचारी सेवा नियम 1957 के नियम 7(3) के अन्तर्गत विभाग में कनिष्ठ सहायक के 15 प्रतिशत रिक्त पदों पर च.श्रे.कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाने हेतु पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जानी है।

उक्त योग्यता नहीं होने पर सूचना शून्य अवश्य भेंजे।


  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.1(3)2( )/स्था/आईसीडीएस/130567-871

जयपुर,दिनांक:  
13-7-18

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक,(एसीपी)मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
2. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।

  
उपनिदेशक (प्रशासन)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।